डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत। अनुमति-पत्र क्रमांक एम.पी.सी. 49

पंजी क्रमांक एम.पी. 533

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11

भोपाल, शनिवार दिनांक 19 जनवरी 1974-पौष 29, शके 1895.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 1974

क्र. 1165-इक्कीस-अ (प्रा.). - मध्यप्रदेश विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 5 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अ. अलीम, उपसचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन् 1974

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973

विषय-सूची

धारायें-

पहला अध्याय - प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
2. परिभाषायें।

दूसरा अध्याय - भिखारियों तथा भिखारी अपराधियों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये प्रक्रिया

3. न्यायालयों की शक्तियाँ।
4. भिक्षा मांगते हुये पाये गये व्यक्ति से न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने की शक्ति।
5. भिक्षा मांगते हुये पाये गये व्यक्तियों के संबंध में संक्षिप्त जाँच तथा उनका निरोध में रखा जाना।
6. भिखारी के रूप में निरुद्ध रखे जाने के पश्चात् भिक्षा मांगने के लिये शास्ति।
7. अपराधों का विचारण संक्षेपतः किया जायेगा।
8. माता या पिता द्वारा अभिदाय।
9. न्यायालय, उन व्यक्तियों के, जो कि भिखारी पर पूर्णतः आश्रित हों, निरोध का आदेश दे सकेगा।
10. असाध्य रूप से असहाय भिखारियों को और आगे निरुद्ध रखने का आदेश देने की राज्य सरकार को शक्ति।
11. भिक्षा मांगने के लिये व्यक्तियों को नियोजित करने या उनसे भिक्षा मंगवाने या भिक्षा मांगने के प्रयोजनों के हेतु उनका उपयोग करने के लिये शास्ति।

धारायें-

तीसरा अध्याय - प्रवेश केन्द्र तथा प्रमाणित संस्थायें

12. प्रवेश-केन्द्रों का उपबंध।
13. प्रमाणित संस्थाओं का उपबंध।
14. परिदर्शन समितियाँ।
15. सलाहकार समितियाँ।
16. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभिदाय का संदाय तथा उसकी वसूली।
17. मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक तथा परिवीक्षा आफिसरों की नियुक्ति।
18. प्रवेश-केन्द्रों तथा प्रमाणित संस्थाओं में तलाशी।
19. प्रबंध तथा अनुशासन।
20. अनुशासनिक कारावास।
21. एक प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था से किसी अन्य प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था को स्थानांतरण।
22. अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्ति।
23. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण।
24. अशर्त निर्मुक्त किया जाना।

चौथा अध्याय - प्रकीर्ण

25. निरोध का आदेश या कारावास का दण्डादेश होने पर प्रक्रिया।
26. कुष्ठ रोगियों और पागलों की चिकित्सीय परीक्षा तथा निरोध।
27. प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था से निकल भागे व्यक्ति की गिरफ्तारी।
28. प्रमाणित संस्था से भारत के भिन्न-भिन्न भागों में की उसी प्रकार की संस्था को स्थानांतरण।
29. अंगुली-चिन्ह लेने की शक्ति।
30. दयादान अभिप्राप्त करने अथवा जबर्दस्ती लेने के लिये दिखाये गये प्रदर्शित किये गये पशुओं का अभिग्रहण तथा व्ययन।
31. अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।
32. लोक सेवक समझे जाने वाले व्यक्ति।
33. अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण।
34. अधिनियम क्रमांक 5, सन् 1898 के अधीन लिये गये बन्ध-पत्र।
35. अपील।
36. नियम।
37. निरसन।

अनुसूची।

(2)

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन् 1974

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973

(दिनांक 5 जनवरी, 1974 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 19 जनवरी, 1974 को प्रथमवार प्रकाशित की गई।)

मध्यप्रदेश राज्य में भिखारियों से संबंधित विधि को समेकित करने के हेतु तथा भिक्षावृत्ति के निवारण के लिये, प्रमाणित संस्थाओं में भिखारियों तथा उनके आश्रितों के निरोध, प्रशिक्षण तथा नियोजन के लिये तथा भिखारी-अपराधियों की अभिरक्षा, विचारण एवं दंड के लिये उपबंध करने के हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय:-

पहला अध्याय - प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ

(1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह ऐसे क्षेत्र में तथा ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "भिक्षा" मांगने से अभिप्रेत है:-

(एक) किसी लोक स्थान में या प्राइवेट परिसर में दयादान मांगना या लेना या किसी स्थान में कोई ऐसा कार्य करना जो अन्य व्यक्तियों को, उनमें दानशीलता की भावना उभार कर, दयादान देने की ओर लक्षित हो;

(दो) दयादान अभिप्राप्त करने अथवा जबरदस्ती लेने के उद्देश्य से चाहे तो किसी मानव के या किसी पशु के किसी व्रण, घाव, क्षति, अंगविकार या रोग को दिखाना या प्रदर्शित करना;

(तीन) जीवन निर्वाह का कोई दृश्य साधन न होना और किसी लोक स्थान के आस-पास ऐसी दशा या रीति में घूमना फिरना या उसमें बने रहना कि जिससे यह संभावना होती हो कि ऐसा करने वाला व्यक्ति, दयादान मांगकर या लेकर जीवन-निर्वाह करता है;

(चार) दयादान मांगने या लेने के प्रयोजन से प्रदर्श के रूप में स्वयं का उपयोग करने देना;

किन्तु इसके अंतर्गत किसी विधि द्वारा प्राधिकृत किये गये अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, विहित रीति में प्राधिकृत किये गये प्रयोजन के लिये धन या अन्न या दान मांगना या लेना नहीं आता है;

(ख) "प्रमाणित संस्था" से अभिप्रेत है कोई ऐसी संस्था जिसका कि भिखारियों तथा उनके आश्रितों के निरोध, प्रशिक्षण तथा नियोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा उपबन्ध तथा अनुरक्षण किया जाता हो और उसके अंतर्गत ऐसी संस्था भी आती है जो प्रमाणित संस्था के रूप में धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित की गई हो;

(ग) "मुख्य निरीक्षक" से अभिप्रेत है प्रमाणित संस्थाओं का मुख्य निरीक्षक जो धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया हो और उसके अंतर्गत अपर मुख्य निरीक्षक जो उस धारा के अधीन नियुक्त किया गया हो, भी आता है;

(घ) "बालक" का वही अर्थ है जो कि मध्यप्रदेश बाल अधिनियम, 1970 (क्रमांक 15 सन् 1970) में उसके लिये दिया गया है;

(ङ) "किशोर न्यायालय" का वही अर्थ है जो कि मध्यप्रदेश बाल अधिनियम, 1970 (क्रमांक 15 सन् 1970) में उसके लिये

दिया गया है;

(च) "उपेक्षित बालक" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश बाल अधिनियम, 1970 (क्रमांक 15 सन् 1970) में यथापरिभाषित बालक;

(छ) "परिवीक्षा आफिसर" से अभिप्रेत है ऐसा आफिसर जो धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन परिवीक्षा आफिसर के रूप में नियुक्त किया गया हो;

(ज) "लोक स्थान" के अंतर्गत रेल का डिब्बा भी आता है;

(झ) "प्रवेश-केन्द्र" से अभिप्रेत है भिखारियों के प्रवेश तथा अस्थायी निरोध के लिये कोई संस्था जिसका कि राज्य सरकार द्वारा उपबन्ध किया गया हो या जो प्रवेश केन्द्र के रूप में धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित की गई हो;

(ञ) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है, यथास्थिति किसी प्रवेश-केन्द्र या किसी प्रमाणित संस्था का अधीक्षक।

दूसरा अध्याय - भिखारियों तथा भिखारी-अपराधियों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये प्रक्रिया

3. न्यायालयों की शक्तियाँ

इस अधिनियम द्वारा न्यायालयों को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय किसी सेशन न्यायालय, किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या किसी किशोर न्यायालय द्वाराही किया जायेगा. और ऐसे न्यायालयों द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकेगा चाहे मामला उनके समक्ष मूलतः आयेगा अपील या पुनरीक्षण में आय।

4. भिक्षा मांगते हुये पाये गये व्यक्ति से न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने की शक्ति

(1) कोई भी पुलिस आफिसर या कोई भी अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भिक्षा मांगते हुये पाया जाये, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) ऐसा पुलिस आफिसर या अन्य व्यक्ति इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को न्यायालय में ले जायेगा या भेजेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) की धारा 61 के उपबंध इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक गिरफ्तारी को लागू होंगे, और पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को विहित रीति में उस समय तक रखवायेगा जब तक कि उसे न्यायालय के समक्ष न ले जाया जा सके।

5. भिक्षा मांगते हुये पाये गये व्यक्तियों के संबंध में संक्षिप्त जाँच तथा उनका निरोध में रखा जाना

(1) जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे धारा (4) के अधीन न्यायालय के समक्ष लाया गया हो, संबंध में यह साबित न हुआ हो कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में पूर्व में निरुद्ध रखा गया है, वहाँ न्यायालय, इस अभिकथन के संबंध में कि वह भिक्षा मांगते हुये पाया गया था, संक्षिप्त जाँच विहित रीति में करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई जाँच तत्काल पूरी न की जा सके तो न्यायालय उसे, समय-समय पर स्थगित कर सकेगा और यह आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसे स्थान को तथा ऐसी अभिरक्षा में, जैसा कि सुविधाजनक हो, प्रतिप्रेषित किया जाये।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई जाँच करने पर, न्यायालय का यह समाधान न हो कि वह व्यक्ति भिक्षा मांगते हुये पाया गया था तो वह न्यायालय आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल निर्मुक्त कर दिया जाये।

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई जाँच करने पर न्यायालय का समाधान हो जाये कि ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांगते हुये पाया गया था, तो वह (न्यायालय) यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति भिखारी है।

(5) न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसके कि बारे में उपधारा (4) के अधीन वह पाया गया हो कि वह भिखारी है, यह आदेश देगा कि उसे ऐसी कालावधि तक के लिये जो छः महीने से कम न किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखा जाये :

परन्तु यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाये कि उस व्यक्ति के संबंध में, जिसके कि बारे में यथा पूर्वोक्त यह पाया गया हो कि वह भिखारी है, यह सम्भाव्य नहीं है कि वह पुनः भिक्षा मांगेगा, तो वह (न्यायालय) भिखारी के भिक्षा मांगने से विरत रहने और सदाचार से रहने के लिये, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा कि न्यायालय अपेक्षित करे, बंध-पत्र का निष्पादन भिखारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे कि न्यायालय उपयुक्त समझे, किया जाने पर भिखारी को उसकी सम्यक् भर्त्सना करने के पश्चात् निर्मुक्त कर

सकेगा।

(6) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई आदेश पारित करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:-

(क) भिखारी की आयु तथा उसका शील।

(ख) वे परिस्थितियाँ तथा दशायें जिनमें कि भिखारी रह रहा था;

(ग) परिवीक्षा आफिसर द्वारा दी गई रिपोर्ट; और

(घ) ऐसी अन्य बातें जिन पर कि, न्यायालय की राय में, भिखारी के हित में विचार किया जाना अपेक्षित हो।

(7) परिवीक्षा आफिसर की रिपोर्ट को या किसी अन्य रिपोर्ट को, जिस पर कि न्यायालय द्वारा उपधारा (6) के अधीन विचार किया गया हो, गोपनीय समझा जायेगा :

परन्तु यदि ऐसी रिपोर्ट भिखारी के शील, स्वास्थ्य या आचरण से, या उन परिस्थितियों तथा दशाओं से, जिनमें कि भिखारी रह रहा है, संबंधित हो, तो न्यायालय, यदि वह समीचीन समझे, उसका सार भिखारी को तथा आश्रितों के मामले में, संबंधित संरक्षक को संसूचित कर सकेगा और यथास्थिति भिखारी या संरक्षक को इस बात का अवसर दे सकेगा कि वह ऐसा साक्ष्य, जो रिपोर्ट में वर्णित बातों से सुसंगत हो, पेश करें।

(8) उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश की एक प्रति मुख्य निरीक्षक को तत्काल भेजी जायेगी।

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुये भी जब वह व्यक्ति, जिसके कि बारे में यथा पूर्वोक्त यह पाया गया हो कि वह भिखारी है, बालक हो, तो न्यायालय उसे किशोर न्यायालय को भेजेगा और उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश नहीं देगा किशोर न्यायालय बालक के संबंध में मध्यप्रदेश बाल अधिनियम, 1970 (क्रमांक 15 सन् 1970) के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि वह उपेक्षित बालक हो। उस व्यक्ति की आयु अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये न्यायालय, यदि आवश्यक हो, भिखारी को परीक्षा चिकित्सक आफिसर द्वारा करवा सकेगा।

6. भिखारी के रूप में निरुद्ध रख जाने के पश्चात् भिक्षा माँगने के लिये शास्ति

(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में पूर्व में निरुद्ध रखा जाने के पश्चात् भिक्षा मांगते हुये पाया जाये, दोष सिद्धि पर, इस धारा में एतस्मिन पश्चात् उपबंधित किये गये अनुसार दंडित किया जायेगा।

(2) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन प्रथम बार सिद्ध दोष ठहराया जाये तो, न्यायालय यह आदेश देगा कि उसे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी कालावधि तक निरुद्ध रखा जाये जो दो वर्ष से कम न हो तथा तीन वर्ष से अधिक न हो।

(3) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दूसरी बार या उसके पश्चात् और बार सिद्ध दोष ठहराया जाये तो न्यायालय यह आदेश देगा कि उसे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी कालावधि तक निरुद्ध रखा जाये जो तीन वर्ष से अधिक हो किन्तु 10 वर्ष से अधिक न हो, और ऐसे निरोध की दो वर्ष से अनधिक किसी कालावधि को उतनी ही कालावधि तक के कारावास के दंडादेश में समपरिवर्तित कर सकेगा।

7. अपराधों का विचारण संक्षेपतः किया जायेगा

धारा 11 के अधीन अपराधों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन के समस्त अपराधों का संक्षपतः विचारण किया जाये।

8. माता या पिता द्वारा अभिदाय

(1) वह न्यायालय, जो धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में किसी व्यक्ति के निरोध का आदेश दे, उसके माता या पिता को अथवा उसके भरण पोषण के दायित्वाधीन किसी अन्य व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगा कि वह उसके भरण-पोषण के लिये अभिदाय विहित रीति में तथा विहित सीमा तक करें, यदि वह ऐसा करने के योग्य हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन, कोई आदेश देने के पूर्व, न्यायालय-

(एक) उसके माता या पिता की अथवा उसके भरण-पोषण के दायित्वाधीन किसी अन्य व्यक्ति की परिस्थितियों के संबंध में, और

(दो) इस संबंध में कि क्या उस व्यक्ति का उसके स्वयं के अधिकार में की कोई संपत्ति है या इस संबंध में कि क्या वह किसी

संपत्ति में किसी अंश का हकदार है या इस संबंध में कि क्या उसका कोई ऐसा नातेदार है जो उसके भरण-पोषण के लिये विधि द्वारा आवद्ध है,

जाँच करेगा, और यथास्थिति माता या पिता अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति या नातेदार की उपस्थिति में, साक्ष्य, यदि कोई हो, अभिलिखित करेगा :

परन्तु माता या पिता अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति या नातेदार के विरुद्ध कोई भी आदेश, उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना, पारित नहीं किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन दिये गये किसी भी आदेश में, दायित्वाधीन पक्षकार द्वारा आवेदन किया जाने पर या अन्यथा, न्यायालय द्वारा फेरफार किया जा सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी आदेश उसी प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा, जिस प्रकार कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) की धारा 488 के अधीन दिया गया आदेश प्रवर्तित किया जाता है।

9. न्यायालय उन व्यक्तियों के, जो कि भिखारी पर पूर्णतः आश्रित हों निरोध का आदेश दे सकेगा

(1) जब न्यायालय ने धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति को किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखने का आदेश दिया हो, तो वह (न्यायालय) ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो कि ऐसे व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित हो, किसी प्रमाणित संस्था में उतनी ही कालावधि तक के लिये निरुद्ध रखे जाने का आदेश दे सकेगा।

परन्तु ऐसा आदेश दिये जाने के पूर्व, ऐसे आश्रित व्यक्ति को यह हेतुक दर्शाने का अवसर दिया जायेगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जावे।

(2) जहाँ आश्रित व्यक्ति बालक हो, वहाँ न्यायालय उसे किशोर न्यायालय को भेजेगा, जो कि उसके संबंध में मध्यप्रदेश बाल अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अधीन इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि वह बालक उपेक्षित बालक हो।

परन्तु जहाँ आश्रित व्यक्ति भिखारी का अपना ऐसा बालक हो जो पाँच वर्ष से कम आयु का हो, तथा भिखारी समर्थांग माता हो जो सांसर्गिक कुष्ठ रोगी या पागल न हो, वहाँ उस बालक के संबंध में यह आदेश दिया जा सकेगा कि उसे, जहाँ तक कि निरोध स्थान का संबंध है, माता से अलग किये बिना किसी प्रमाणित संस्था में उस समय तक निरुद्ध रखा जाये जब तक कि वह पाँच वर्ष की आयु पूरी न कर ले, और तत्पश्चात् उसके (बालक के) संबंध में, इस उपधारा के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार कार्यवाही की जाये।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिये, न्यायालय, यदि आवश्यक हो, आश्रित व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकेगा। अपने समक्ष उपस्थित करवा सकेगा तथा चिकित्सक आफिसर द्वारा उसकी परीक्षा करवा सकेगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) की धारा 61 के उपबंध इस उपधारा के अधीन की गई प्रत्येक गिरफ्तारी को लागू होंगे, तथा पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को विहित रीति में उस समय तक रखवायेगा जब तक कि उसे न्यायालय के समक्ष न लाया जा सके।

10. असाध्य रूप से, असहाय भिखारियों को और आगे निरुद्ध रखने का आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति

जब किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि धारा 5 या धारा 6 या धारा 9 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखा गया हो, चाहे राज्य सरकार को उसके द्वारा आवेदन पत्र दिया जाने पर या अन्यथा, राज्य सरकार द्वारा, अंधा, अपंग, (क्रिपल) या अन्यथा असाध्य रूप से असहाय मान लिया गया हो, तो राज्य सरकार, यह आदेश दे सकेगी कि उसे उसके निरोध की कालावधि के अवसान के पश्चात् किसी प्रमाणित संस्था में अनिश्चित समय के लिये और आगे निरुद्ध रखा जाये।

परन्तु राज्य सरकार किसी भी ऐसे अन्तःवासी को निर्मुक्त कर सकेगी यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे, ऐसे अन्तःवासी के आवासन तथा भरण-पोषण के हेतु तथा उसे भिक्षा मांगने से या भिक्षा मांगने के प्रयोजन के लिये उसका उपयोग होने देने से निवारित करने के हेतु स्वयं को उत्तरदायी बनाते हुये है, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा कि राज्य सरकार अपेक्षित करे, बंध-पत्र निष्पादित कर दे।

11. भिक्षा मांगने के लिये व्यक्तियों को नियोजित करने या उनसे भिक्षा मंगवाने या भिक्षा मांगने के प्रयोजनों के हेतु जिनका उपयोग करने के लिये शास्ति

जो कोई किसी व्यक्ति को दयादान मांगने के लिये या लेने के लिये नियोजित करेगा या उससे दयादान मंगवायेगा या प्राप्त करवायेगा या जो कोई, जिसकी कि अभिरक्षा, भार या देख रेख में कोई बालक हो, दयादान मांगने या लेने के लिये उस बालक का नियोजन किया

जाने के प्रति या उस वालक से दयादान मंगवाने या प्राप्त करवाने के प्रति मौनानुकूल वना रहेगा या प्रोत्साहन देगा या जो कोई किसी अन्य व्यक्ति का भिक्षा मांगने के प्रयोजनार्थ प्रदर्श के रूप में उपयोग करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जायेगा।

तीसरा अध्याय - प्रवेश केन्द्र तथा प्रमाणित संस्थाएँ

12. प्रवेश-केन्द्रों का उपवंध

(1) राज्य सरकार, ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिसे/जिन्हें कि वह उचित समझे, एक या अधिक प्रवेश-केन्द्रों का उपवंध कर सकेगी तथा उनका अनुरक्षण कर सकेगी और किसी भी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवेश-केन्द्र के रूप में प्रमाणित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक ऐसा प्रवेश-केन्द्र अधीक्षक के नियंत्रणाधीन होगा।

13. प्रमाणित संस्थाओं का उपवंध

(1) राज्य सरकार, ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिसे/जिन्हें कि वह उचित समझे, एक या अधिक प्रमाणित संस्थाओं का उपवंध कर सकेगी तथा उनका अनुरक्षण कर सकेगी और किसी भी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, प्रमाणित संस्था के रूप में प्रमाणित कर सकेगी। किसी भी ऐसी प्रमाणित संस्था में कृषिक, औद्योगिक तथा अन्य कामकाजों के अध्यापन के लिये तथा अंतःवासियों की सामान्य शिक्षा तथा चिकित्सीय देखरेख के लिये उपवंध हो सकेंगे।

(2) प्रत्येक ऐसी प्रमाणित संस्था अधीक्षक के भाराधीन होगी।

14. परिदर्शन-समितियाँ

प्रत्येक प्रवेश-केन्द्र तथा प्रत्येक प्रमाणित संस्था के लिये राज्य सरकार एक परिदर्शन समिति की नियुक्ति ऐसी रीति में करेगी जैसी कि विहित की जाये।

15. सलाहकार समितियाँ

(1) राज्य सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र के लिये, जिसमें कि यह अधिनियम धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन प्रवृत्त हुआ हो, एक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी जिसमें इक्कीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कि वह नियुक्त करें।

परन्तु जहाँ कोई स्थानीय प्राधिकारी उन प्रमाणित संस्थाओं के, जिनमें कि उस स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के अध्यधीन आने वाले क्षेत्रों में के भिखारियों को निरुद्ध रखा जाता हो, अनुरक्षण के लिये वित्तीय सहायता देता हो, वहाँ राज्य सरकार सलाहकार समिति में स्थानीय प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी जितने कि वह उचित समझे।

(2) किसी क्षेत्र में उपधारा (1) के अधीन गठित की गई सलाहकार समिति या उसका कोई सदस्य समस्त युक्तियुक्त समयों पर तथा अधीक्षक को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् किसी भी ऐसी प्रमाणित संस्था का, जिसमें कि उस क्षेत्र में के भिखारी निरुद्ध रखे जाते हों, परिदर्शन कर सकेगा/सकेगी।

(3) सलाहकार समिति निम्नलिखित वातें भी कर सकेगी:-

(एक) किसी प्रमाणित संस्था को प्रवंध के संवंध में मुख्य निरीक्षक की या ऐसे अन्य आफिसर की, जिसे कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे मार्फत सलाह देना,

(दो) ऐसी किन्हीं या समस्त प्रमाणित संस्थाओं के, जो उस क्षेत्र के भीतर स्थित हों या जिनमें उस क्षेत्र के भिखारियों को निरुद्ध रखा जाता हो, आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों के लिये चन्दा संग्रहीत करना तथा संग्रहणों को विहित रीति में संवितरित करना,

(तीन) किसी संस्था के प्रमाणित संस्था के रूप में प्रमाणन के संवंध में या उस क्षेत्र में की किसी प्रमाणित संस्था के निष्प्रमाणन (डि-सर्टीफिकेशन) के संवंध में राज्य सरकार को मुख्य निरीक्षक की मार्फत सलाह देना।

(चार) राज्य सरकार को साधारणतः उस क्षेत्र में इस अधिनियम के कार्यकरण के संवंध में तथा विशिष्टतः किसी ऐसे प्रश्न के संवंध में, जो कि उसे मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया हो या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य आफिसर द्वारा निर्देशित किया गया हो, सलाह देना।

16. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अभिदाय का संदाय तथा उसकी वसूली

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकारी को यह निदेश दे सकेगी कि वह अपनी अधिकारिता के भीतर की प्रमाणित संस्थाओं के अनुरक्षण के लिये कतिपय धनराशि का संदाय उसमें (आदेश में) विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व करें।

परन्तु ऐसा आदेश दिये जाने के पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को इस बात का हेतुक दर्शाने के लिये अवसर दिया जायेगा कि वह (आदेश) क्यों न दिया जाये।

(2) यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का संदाय विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व न किया जाये, तो राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि स्थानीय प्राधिकारी की ओर से उसके आफिसर, खजांची, बैंकर के रूप में या अन्यथा किन्हीं धनों को तत्समय, अपनी अभिरक्षा में रखता हो, यह निदेशित करते हुये आदेश दे सकेगी कि वह ऐसे धनों में से, जो कि उसके पास हों या जिन्हें वह समय-समय पर प्राप्त करे, उस राशि का राज्य सरकार को संदाय करें, और ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगा। ऐसे आदेश के अनुसरण में किया गया प्रत्येक संदाय ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार धारित किये गये स्थानीय प्राधिकारी के धनों में से उसके द्वारा संदत्त की गई किसी रकम के बारे में ऐसे व्यक्ति का स्थानीय प्राधिकारी के प्रति समस्त दायित्वों से पर्याप्त उन्मोचन होगा।

17. मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक तथा परिवीक्षा आफिसरों की नियुक्ति

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, राज्य सरकार प्रमाणित संस्थाओं के मुख्य निरीक्षक की, निरीक्षक की तथा उतने अपर तथा सहायक निरीक्षकों और परिवीक्षा आफिसरों की, जितने को वह मुख्य निरीक्षक की सहायता करने के लिये उचित समझे, नियुक्ति कर सकेगी और मुख्य निरीक्षक की सहायता के लिये इस प्रकार से नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक की शक्तियों में से ऐसी शक्तियाँ होंगी, तथा वह मुख्य निरीक्षक के कर्तव्यों में से ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिनके कि संबंध में राज्य सरकार निदेश दे, किन्तु वह मुख्य निरीक्षक के निदेश के अधीन कार्य करेगा।

(2) प्रत्येक प्रवेश-केन्द्र तथा प्रमाणित संस्था का निरीक्षण मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक, सहायक निरीक्षक या परिवीक्षा आफिसर द्वारा प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार किया जायेगा।

18. प्रवेश-केन्द्रों तथा प्रमाणित संस्थाओं में तलाशी

प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था का अधीक्षक, यह आदेश दे सकेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था में प्रवेश दिया गया हो, तलाशी ली जाये। उसकी सफाई की जाये, उसकी वैयक्तिक चीज वस्तु का निरीक्षण किया जाये, और यह कि ऐसे व्यक्ति के पास या उसके शरीर पर पाया गया कोई धन या पाई गई मूल्यवान वस्तुयें ऐसे अधीक्षक की अभिरक्षा में रखी जाये तथा यह कि धन का मूल्यवान वस्तुओं से भिन्न किसी चीजवस्तु का, जो कि इस प्रकार पाई गई हो व्ययन विहित रीति में किया जाये, जहाँ निरोध का आदेश न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया जाये, वहाँ अधीक्षक यह आदेश दे सकेगा, कि ऐसे व्यक्ति के पास या उसके शरीर पर पाये गये धन या पाई गई मूल्यवान वस्तुओं का व्ययन विहित रीति में किया जाये। जहाँ न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में निरोध के आदेश से भिन्न कोई आदेश पारित करे, वहाँ उसका धन तथा उसकी मूल्यवान वस्तुयें उसे लोटा दी जायेंगी और यदि उसके वस्त्र नष्ट कर दिये गये हों, तो उसे नवीन वस्त्र दिये जायेंगे। विहित किये गये मान से ऐसे वस्त्र दिये जाने का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

परन्तु किसी स्त्री की तलाशी किसी स्त्री द्वारा ही ली जायेगी तथा शिष्टता का सम्यक् ध्यान रखते हुये ली जायेगी।

19. प्रबंध तथा अनुशासन

इस अधिनियम के अधीन प्रवेश-केन्द्रों तथा प्रमाणित संस्थाओं को प्रतिप्रेषित या उनमें निरुद्ध व्यक्ति प्रबंध तथा अनुशासन, जिसमें कि शारीरिक या अन्य कार्य का आरोपित किया जाना एवं प्रबंध तथा अनुशासन संबंधी किन्हीं भी नियमों के भंग के लिये दण्ड का अधिनिर्णीत किया जाना सम्मिलित है, के ऐसे नियमों के अध्यधीन होंगे जो कि समय-समय पर विहित किये जायें।

20. अनुशासनिक कारावास

(1) किसी ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही पर, जो कि धारा 19 के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक या अधीक्षक किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये गये किसी व्यक्ति के, जो धारा 19 में निर्दिष्ट किये गये नियम की अभ्यासतः तथा जानबूझकर अवज्ञा करे या उसका अनुपालन करने में उपेक्षा करे, मामले की रिपोर्ट न्यायालय को कर सकेगा और तदुपरि

न्यायालय उसका यह समाधान हो जाने पर कि उस व्यक्ति ने किसी ऐसे नियम की जानबूझकर अवज्ञा की है या उसका अनुपालन करने में उपेक्षा की है, किसी प्रमाणित संस्था में उसके निरोध की शेष कालावधि या उसके भाग को कारावास की अवधि में सम्परिवर्तित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदिष्ट कारावास का दंडादेश उसी रीति में निष्पादित किया जायेगा जिस रीति में धारा 6 के अधीन पारित किया गया दंडादेश निष्पादित किया जाता है।

21. एक प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था से किसी अन्य प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था को स्थानान्तरण

(1) मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जायें, अध्यधीन रहते हुये किसी प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे गये किसी व्यक्ति का वहाँ से राज्य में के यथास्थिति किसी अन्य प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था में स्थानान्तरित किये जाने का निदेश दे सकेगा।

परन्तु ऐसे स्थानान्तरण से, ऐसे व्यक्ति के निरोध की कुल कालावधि में किसी भी दशा में वृद्धि नहीं होगी।

(2) ऐसे स्थानान्तरण संबंधी निदेश देते समय, मुख्य निरीक्षक धारा 26 के अधीन के चिकित्सक प्रमाण-पत्र का तथा उस धारा के अधीन राज्य सरकार या न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों का, यदि कोई हों, ध्यान रखेगा।

22. अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्ति

(1) ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जाय, अध्यधीन रहते हुये-

(क) प्रमाणित संस्था का मुख्य निरीक्षक या अधीक्षक प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे गये किसी व्यक्ति को अल्प कालावधियों के लिये अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा किसी भी समय दे सकेगा; और

(ख) मुख्य निरीक्षक ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय सशर्त निर्मुक्त कर सकेगा तथा उसे उसके (निर्मुक्त के) लिये अनुज्ञप्ति दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई भी अनुज्ञप्ति उस अवधि का, जिसके कि लिये उस व्यक्ति को प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया था, अवसान होने तक प्रवृत्त रहेगी यदि वह (अनुज्ञप्ति) उससे पहले ही प्रतिसंहृत न कर दी जाये।

(3) उस कालावधि को, जिसके कि दौरान ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन उसे दी गई अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के आधार पर किसी प्रमाणित संस्था से अनुपस्थित रहे, किसी प्रमाणित संस्था में उसके निरोध की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये, उसके निरोध का भाग समझा जायेगा।

23 अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

(1) मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के, जो कि विहित की जायें अध्यधीन रहते हुये, धारा 22 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति का किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकेगा, और तदुपरि, निर्मुक्त किये गये व्यक्ति को किसी प्रमाणित संस्था में उस अवधि का, जिसके कि लिये उसे निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया था, अवसान होने तक निरुद्ध रखा जायेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये, मुख्य निरीक्षक, यदि आवश्यक हो, निर्मुक्त किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकेगा और उसे निरोध के आदेश की प्रति के साथ निकटतम प्रवेश-केन्द्र में भिजवा सकेगा, और तदुपरि धारा 25 की उपधारा (1) के उपबंध यथाशक्य लागू होंगे।

24. अशर्त निर्मुक्त किया जाना

धारा 22 के अधीन किसी व्यक्ति के अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्त किये जाने से तीन मास का अवसान हो जाने के पश्चात् किसी भी समय मुख्य निरीक्षक, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि इस बात की अधिसंभाव्यता है कि ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांगने से प्रविरत रहेगा, उसे अशर्त निर्मुक्त किये जाने के लिये राज्य सरकार से सिफारिश कर सकेगा। राज्य सरकार, ऐसी सिफारिश पर, ऐसे व्यक्ति को अशर्त निर्मुक्त कर सकेगीऔर तदुपरि उस अवधि के संबंध में जिनके के लिये ऐसे व्यक्ति को किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया था, वह समझा जायेगा कि उसका अवसान हो गया है।

चौथा अध्याय - प्रकीर्ण

25. निरोध का आदेश या कारावास का दण्डादेश होने पर प्रक्रिया

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये जब किसी व्यक्ति को धारा 5 या धारा 6 या धारा 9 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरोध में रखे जाने का आदेश दिया गया हो, तो वह न्यायालय, जिसने निरोध का आदेश दिया हो, उसे निरोध के आदेश की एक प्रति के साथ निकटतम प्रवेश-केन्द्र को तत्काल भेजेगा, तदुपरि वह व्यक्ति प्रवेश-केन्द्र के अधीक्षक की अभिरक्षा में सौंप दिया जायेगा और उसे प्रवेश-केन्द्र में तब तक निरुद्ध रखा जावेगा जब तक कि उसे वहां से किसी प्रमाणित संस्था में न भेज दिया जाये।

(2) यदि किसी व्यक्ति को, जिसके कि विरुद्ध निरोध का आदेश उपधारा (1) में उपबंधित किये गये अनुसार पारित किया गया हो, कारावास का दन्डादेश भी दिया गया हो, तो न्यायालय उस व्यक्ति को वारन्ट के साथ तथा निरोध के आदेश की एक प्रति के साथ उसे जेल को भेजेगा जिसमें कि उसे परिरुद्ध किया जाना हो। कारावास के दण्डादेश का अवसान हो जाने पर, ऐसी जेल का भारसाधक आफिसर, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी प्रमाणित संस्था में किसी कालावधि के लिये निरोध का भोगा जाना शेष रहा हो, उसे निरोध के आदेश की एक प्रति के साथ निकटतम प्रवेश-केन्द्र को तत्काल भेजेगा, और तदुपरि उपधारा (i) के उपबन्ध, यथाशक्य, लागू होंगे।

(3) उस कालावधि की, जिसके कि लिये किसी व्यक्ति को किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया हो, संगणना करने में वह कालावधि भी सम्मिलित की जायेगी जिसके लिये कि उसे इस धारा के अधीन किसी प्रवेश-केन्द्र में निरुद्ध रखा जाये।

26. कुष्ठ रोगियों और पागलों की चिकित्सीय परीक्षा तथा निरोध -

(1) जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी न्यायालय के आदेश के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखा गया कोई भिखारी विकृत चित्त का है या कुष्ठ रोगी है, वहां राज्य सरकार अपने इस विश्वास के कि भिखारी विकृत चित्त या कुष्ठ रोगी है, आधारों का उपवर्णित करते हुए एक आदेश द्वारा उस अवधि की, जिस तक के लिये उसे निरोध में रखे जाने का आदेश दिया गया हो, शेष अवधि के दौरान यथास्थिति मानसिक चिकित्सालय या कुष्ठालय या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में रखे जाने के लिये और चिकित्सा की जाने के लिये, जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे, उसे वहां ले जाये जाने का आदेश दे सकेगी, या यदि उस अवधि का अवसान होने पर चिकित्सा आफिसर द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि भिखारी या अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उसे चिकित्सीय देखरेख या चिकित्सा के अधीन और आगे निरुद्ध रखा जाये तो उसे तब तक रखा जायेगा जब तक कि विधि के अनुसार उसे उन्मोचित न कर दिया जाये।

(2) जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि भिखारी विकृत चित्त का नहीं रह गया है या यह कि उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, तो राज्य सरकार भिखारी के भारसाधक व्यक्ति को सम्बोधित आदेश द्वारा, उसे (भिखारी को), यदि वह (भिखारी) अभी भी अभिरक्षा में रखे जाने के दायित्वाधीन हो, उसे प्रमाणित संस्था को भेज देगी जहां से कि उसे हटाया गया था या यदि उस भिखारी को और अधिक समय तक के लिये अभिरक्षा में नहीं रखा जाना हो तो, उसे उन्मोचित किये जाने का आदेश देगी।

(3) इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, 1912 (क्रमांक 4 सन् 1912) की धारा 31 के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक भिखारी को लागू होंगे जिसे उस कालावधि के, जिस तक के लिये कि उसे निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया था, अवसान के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन किसी मानसिक चिकित्सालय में परिरुद्ध रखा गया हो, और वह समय, जिसके कि दौरान किसी भिखारी को उस उपधारा के अधीन किसी मानसिक चिकित्सालय में परिरुद्ध रखा गया हो, उस कालावधि के भाग के रूप में गिना जायेगा जिसके लिये कि उसे निरोध में रखे जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया हो।

परन्तु यहाँ चित्त-विकृति के कारण किसी भिखारी का हटाया जाना तुरन्त आवश्य हो, वहाँ उस संस्था के, जिसमें भिखारी को निरुद्ध रखा गया हो, प्राधिकारियों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे, उस न्यायालय को, जो कि इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, 1912 (क्रमांक 4 सन् 1912) के अधीन अधिकारिता रखता हो, यह आवेदन करें कि वह (न्यायालय) उस भिखारी को, उस समय तक के लिये जब तक कि इस मामले में राज्य सरकार के आदेश प्राप्त हो सकें, किसी मानसिक चिकित्सालय के सुपुर्द किये जाने के तुरन्त आदेश प्रदान करें।

27. प्रवेश केन्द्र या प्रमाणित संस्था से निकल भागे व्यक्ति की गिरफ्तारी

कोई भी व्यक्ति, जो किसी प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था को उसके अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना छोड़ दे या अनुपस्थित, जिसके लिये कि धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा दी गई हो, की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् वहाँ लौटने में असफल रहे, किसी भी पुलिस आफिसर द्वारा बिना वारंट के, या प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था किसी ऐसा आफिसर द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकेगा और यथा स्थिति प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था को वापस भेजा जा सकेगा।

28. प्रमाणित संस्था से भारत के भिन्न-भिन्न भागों में की उसी प्रकार की संस्था स्थानान्तरण

(1) राज्य सरकार किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे गये किसी व्यक्ति को, वहाँ से भारत के किसी अन्य भाग में का उसी प्रकार की किसी ऐसी संस्था में, जिसके कि संबंध में उस भाग की राज्य सरकार द्वारा, उसमें (उस भाग में) प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वैसे ही उपबन्ध किये गये हों जैसे कि मध्यप्रदेश राज्य में हैं, स्थानान्तरित किये जाने का निदेश दे सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन, कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य को, उस अन्य राज्य की सरकार की सम्मति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, किसी प्रमाणित संस्था के अधीक्षक के परामर्श से, किसी व्यक्ति के, जिसके कि संबंध में भारत के किसी अन्य भाग में के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के अधीन आदेश की प्रकृति का ऐसा निरोध आदेश दिया गया हो जो यह निदेशित करता हो कि उस व्यक्ति को प्रमाणित संस्था या उसी प्रकार की संस्था में निरुद्ध रखा जाये, उस संस्था में स्थानान्तरित किये जाने की सम्मति दे सकेगी और ऐसा स्थानान्तरण होने पर, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे।

29. अंगुलि-चिन्ह लेने की शक्ति

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट को या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के पद से अनिम्न पद के किसी आफिसर को, जो कि उसके द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया हो, किसी भी समय अपने अंगुलि-चिन्ह लेने देगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन अपने अंगुलि-चिन्ह लिये जाने से इन्कार करेगा, दोषसिद्धि पर, इस बात के दायित्वाधीन होगा कि किसी प्रमाणित संस्था में के उसके निरोध की कालावधि, जो तीन मास से अधिक न हो उतनी ही कालावधि तक के कारावास की अवधि में संपरिवर्तित कर दी जाये।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदिष्ट कारावास का दण्डादेश उसी रीति में निष्पादित किया जायेगा जिस रीति में कि धारा 6 के अधीन पारित किया गया दण्डादेश निष्पादित किया जाता है।

30. दयादान अभिप्राप्त करने अथवा जबरदस्ती लेने के लिये दिखाये गये या प्रदर्शित किये गये पशुओं का अभिग्रहण तथा व्ययन

(1) कोई भी पुलिस आफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भिक्षा मांगता हुआ पाया गया हो, धारा 4 की उपधारा (i) के अधीन गिरफ्तार कर, किसी भी ऐसे पशु का, जिसका व्रण, घाव, क्षति, अंग-विकार या रोग, दयादान अभिप्राप्त करने अथवा जबरदस्ती लेने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाया या प्रदर्शित किया गया था, अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) गिरफ्तार करने वाला पुलिस आफिसर या अन्य व्यक्ति ऐसे पशु को किसी ऐसे रुग्णालय में, जो कि प्रिवेन्शन आफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 59 सन् 1960) धारा 35 के अधीन नियत किया गया हो या ऐसे अन्य स्थान में, जो कि न्यायालय के समक्ष उसके (पशु के) पेश किये जाने तक उसे निरुद्ध रखने के लिये विहित किया जाये, ले जा सकेगा।

(3) वह न्यायालय जिसके समक्ष भिक्षा मांगते हुये पाया गया व्यक्ति लाया जाये यह निदेश दे सकेगा कि पशु की, ऐसे रुग्णालय या ऐसे अन्य स्थान में, जो कि विहित किया जाये, तब तक चिकित्सा तथा देखरेख की जाये जब तक कि वह उन्मोचन के योग्य न हो जाये, या यदि उस क्षेत्र का, जिसमें पशु पाया जाये, भारसाधक पशु चिकित्सा आफिसर या ऐसे अन्य पशु चिकित्सा आफिसर जो प्रिवेन्शन आफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 59, सन् 1960) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, यह प्रमाणित करे कि उसका रोग असाध्य है या वह क्रूरता के बिना नहीं ले जाया जा सकता, तो वह न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि उसे नष्ट कर दिया जाये, और न्यायालय यह भी आदेश दे सकेगा कि रुग्णालय या ऐसे अन्य स्थान से, जो कि विहित किया जाये, निर्मुक्ति के पश्चात् पशु का अधिहरण किया जाये।

(4) किसी रुग्णालय या ऐसे अन्य स्थान में, जो कि विहित किया जाये, देखरेख तथा चिकित्सा के लिये भेजा गया पशु, जब तक कि न्यायालय यह निर्देश न दे कि उसे नष्ट कर दिया जाये, उस क्षेत्र के, जिसमें कि वह रुग्णालय या ऐसा स्थान स्थित हो, भारसाधक पशु चिकित्सा आफिसर द्वारा या ऐसे अन्य पशु चिकित्सा आफिसर द्वारा, जो कि प्रिवेन्शन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट, 1960 (क्र. 59 सन् 1960) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, इस बात का कि पशु उन्मोचन के योग्य हो गया है, प्रमाण-पत्र दिया जाने पर ही ऐसे स्थान से निर्मुक्त किया जायेगा अन्यथा नहीं।

31. अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे

इस अधिनियम की धारा 6 तथा 11 के अधीन के अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।

32. लोक सेवक समझे जाने वाले व्यक्ति

ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का पालन करने के लिये सशक्त किये गये हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

33. अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

34. अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1898 के अधीन दिये गये बन्ध-पत्र

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) के अध्याय 42 के उपबंध यथाशक्य, इस अधिनियम के अधीन किये गये बंध-पत्रों को लागू होंगे।

35. अपील

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) के अधीन अपील पुनरीक्षण के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश (जिसके अंतर्गत धारा 5 के अधीन निरोध का आदेश भी आता है) उसी कालावधि के लिये कारावास का दंडादेश समझा जायेगा।

(2) किसी प्रवेश केन्द्र या किसी प्रमाणित-संस्था का कोई अन्तःवासी जो इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अधीक्षक द्वारा पारित किये गये किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के विरुद्ध मुख्य निरीक्षक को अपील विहित रीति में कर सकेगा।

36. नियम

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 2 के खंड (क) के अधीन प्रयोजन को प्राधिकृत करने की रीति।

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) या धारा 9 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को रखने की रीति;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त जाँच करने की रीति;

(घ) किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किये गये व्यक्ति के भरण पोषण के लिये धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अभिदाय की सीमा तथा वह रीति जिसमें ऐसे अभिदाय का भुगतान किया जायेगा;

(ङ) धारा 14 के अधीन परिदर्शन समिति नियुक्त करने की रीति;

(च) सलाहकार समितियों द्वारा कामकाज का संचालन;

(छ) वह रीति जिसमें धारा 18 में विनिर्दिष्ट की गई चीजवस्त तथा धन एवं मूल्यवान वस्तुओं का व्ययन किया जायेगा;

(ज) किसी प्रवेश-केन्द्र या प्रमाणित संस्था में निरुद्ध रखे गये व्यक्ति का प्रबंध तथा अनुशासन जिसके अंतर्गत शारीरिक या अन्य कार्य का आरोपण तथा इस खंड के अधीन बनाये गये किसी भी नियम के भंग के लिये दंड अधिनिर्णीत करना भी आता है;

(झ) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुये मुख्य-निरीक्षक धारा 21 के अधीन स्थानान्तरणों का निदेश दे सकेगा।

(ञ) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा;

(ट) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुये अनुज्ञप्ति धारा 23 के अधीन प्रतिसंहृत की जा सकेगी;

(ठ) भिखारियों की चिकित्सीय परीक्षा की रीति;

(ड) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाये।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

37. निरसन

धारा 1 की उपधारा (3) में उपबंधित की गई रीति में राज्य के किसी क्षेत्र में इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर उस क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त तत्स्थानी विधियाँ (जिनमें कि अनुसूची में वर्णित विधियाँ उस सीमा तक सम्मिलित हैं जो कि अनुसूची के तीसरे कालम में विनिर्दिष्ट हैं) उस क्षेत्र में निरस्त हो जायेंगी।

अनुसूची

(धारा 37 देखिये)

क्रमांक तथा वर्ष (1)	संक्षिप्त नाम (2)	निरसन की सीमा (3)
भोपाल स्टेट एक्ट क्रमांक 5 सन् 1917	भोपाल स्टेट प्रिवेंशन आफ बेगिंग एक्ट, 1917	संपूर्ण
मध्यप्रदेश एक्ट क्रमांक 23 सन् 1956	मध्यप्रदेश म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1956	इक्तीसवां अध्याय
मध्यप्रदेश एक्ट क्रमांक 37 सन् 1961	मध्यप्रदेश म्युनिसिपॅलिटीज एक्ट, 1961	धारा 288

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 1974

क्र. 1166-इक्कीस-अ (प्रा.) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973 (क्र. 3 सन् 1974) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अ. अलीम, उपसचिव